

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी ( अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ) जैसलमेर  
( पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस )

मु0 संख्या 34 /2017

प्रार्थी खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	बनाम	अप्रार्थी 1श्री प्रफुल्ल भाटिया पुत्र श्री आनंद भाटिया उम्र 35 वर्ष, जाति भाटिया निवासी भाटिया पाड़ा, जिला जैसलमेर एफ.बी.ओ. मालिक 2मैसर्स किशनलाल सुखदेव प्रसाद भाटिया, पंसारी बाजार, जैसलमेर (अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011 )
--	------	--

--: आदेश ::- दिनांक: 30 नवम्बर 2017

श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि-

1. यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आवंटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

1. यह है कि अभियुक्त कं सं. 1. श्री प्रफुल्ल भाटिया पुत्र श्री आनंद भाटिया उम्र 35 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी- भाटिया पाड़ा, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक 2. मैसर्स किशनलाल सुखदेव प्रसाद भाटिया, पंसारी बाजार, जैसलमेर (राज.) हैं।
2. यह है कि दिनांक 13.04.2017 को 3पीएम मैसर्स किशनलाल सुखदेव प्रसाद भाटिया, पंसारी बाजार, जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान, संस्थान पर विक्रेता श्री प्रफुल्ल भाटिया पुत्र श्री आनंद भाटिया उम्र 35 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी- भाटिया पाड़ा (राज.) पर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया।
3. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल दुकान मे विक्रय कर रहा था, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल नमूने वास्ते 4 पैक बॉटल 500एमएल दिया जिसके पेटे 400 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

4. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल को चारो नमूनो पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना बोटलों पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन-675 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। और बोटलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-675 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील सें मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-675 तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।
5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर दिनांक 17.04.2017 को दीपक सोनी, एफसीएलसी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/11587-89 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला



274  
न्याय निगम अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

- राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या T L.S./347/Act/2017/348 - दिनांक 27.04.2017 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन-675/के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।
  8. यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक कं सं. 1. श्री प्रफुल्ल भाटिया पुत्र श्री आनंद भाटिया उम्र 35 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी- भाटिया पाड़ा, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक 2. मैसर्स किशनलाल सुखदेव प्रसाद भाटिया, पंसारी बाजार, जैसलमेर (राज.)ने अमानक तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।
  9. श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 27.11.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया :-

- 1- गैरसायल द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। ईजन छाप पैक आईटम ईजन ब्राण्ड तेल का विक्रय किया है। विक्रय सामग्री की निर्माण व पैक मेरे द्वारा नहीं किया गया है
  - 2- नमूना जांच सेम्पल 11 बिन्दु मेसे 9 बिन्दु मानक स्तर के तथा 2 बिन्दु में ही अमानक पाया गया है किसी प्रकार के अखाद्य नहीं पाया गया है किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है।
  - 3- पैक आईटम के लिए खुदरा विक्रेता दाषी नहीं है फिर भी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से निस्तारण की प्रार्थना करते हुवे प्रकरण में पैक आईटम ईजन छाप तेल को विक्रय करना जिसमें 2 बिन्दु अमानक पाया जानें का आंशिक जुर्म स्वीकार करते हैं।
  - 4 यह कि भविष्य में पूर्ण सतर्कता बरतेंगे।
- कृपया आईन्दा पेशी से हाजरी माफी प्रदान करावें तथा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की गई है तथा जुर्म स्वीकार कर लेने से गैरसायलान द्वारा अमानक तिल तेल इंजन ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल का विक्रय करने के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है



न्याय निगम अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 51, में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसायल नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 25,000/-अखरे रूपये पचीस हजार मात्र की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।

निर्णय आज दिनांक 30 .11 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

474

( कन्हैयालाल स्वामी )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/

दिनांक:- .11.2017

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित है:-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2- अभिहीत अधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जैसलमेर/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3श्री प्रफुल्ल भाटिया पुत्र श्री आनंद भाटिया उम्र 35 वर्ष, जाति भाटिया मूल निवासी-  
भाटिया पाड़ा, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक



474  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर